प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामकिशोर पुत्र श्री छोटेलाल, निवासी जनपद-कानपुर देहात की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-10870/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-24.02.2025, दिनांक 05.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी रामकिशोर पुत्र श्री छोटेलाल, जो उदनापुर, थाना-डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात का निवासी है। बन्दी द्वारा गाँव के प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 25.05.2007 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, कुल्हाडी, कट्टा व तलवार से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-281/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149, 307, 323/149, 506/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) कानपुर देहात के आदेश दिनाक 28.07.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनाक 23.08.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष 06 माह 08 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 10 माह 14 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्यतम अपराध कारित किये जाने, बन्दी के समयपूर्व रिहाई से बन्दी एवं अभियोग के शिकार हुए परिवार की जान माल का खतरा होने की आख्या अंकित करते हुए दयायाचिका समिति द्वारा उल्लेख किया गया है कि बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 23.08.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष 06 माह 08 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 10 माह, 14 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामकिशोर (बन्दी संख्या-306/2023) पुत्र श्री छोटेलाल, निवासी जनपद-कानपुर देहात की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1437/2025/779(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।